राजस्व आवेदन संख्या 205 / 2025
हाजी खां बनाम मूसे खां वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 205 / 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 264

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

हाजी खां पुत्र रायधान खां
जाति मुसलमान
निवासी सिमरखिया
तहसील पाटादी व जिला बालोतरा

1.मूसेखां पुत्र रहीमखां
2.गोहरो पत्नि रहीम खां
3.शेरू खां पुत्र रहीम खां
4.शरीफ खां पुत्र रहीम खां
5.अदरीम पुत्र जामीनखां के वारिसान
5 / 1.मेहरो खां पुत्र अदरीम खां
5 / 2.सदीक खां पुत्र अदरीम खां
6.अहमद खां कादर खां के वारिसान
6 / 1.बाबूखां पुत्र कादर खां
6 / 2.रसुल खां पुत्र अहमद खां
6 / 3.सलीम खां पुत्र अहमद
6 / 4.रोशन खां पुत्र अहमद खां
7.आरब खां पुत्र धुला खां
8.ईशाक खां पुत्र इदे खां
9.इसे खां पुत्र मीरू खां
10.कोजू खां पुत्र इदे खां
11.गनी खां पुत्र मीरू खां
12.चांद मोहम्मद पुत्र मीरू खां
13.जीती पुत्री इदेखां
14.जीवणे खां पुत्र कादर खां
15.नसीर खां पुत्र मीरू खां
16.पीरू खां पुत्र फता खां
17.बच्चा खां पुत्र धुमे खां
18.भीखी पुत्री इदे खां
19.मीरू खां पुत्र धुला खां के वारिसान
19 / 1. गनीखां पुत्र मीरू खां
19 / 2. नसीर खां पुत्र मीरू खां
19 / 3.इसे खां पुत्र मीरू खां
19 / 4.चांद मोहम्मद पुत्र मीरू खां
20.रेशमो पत्नि मीरू खां
21.सायरो पत्नि इदे खां
22.सुभान खां पुत्र धुला खां के वारिसान
22 / 1.फुसे खां पुत्र सुभान खां
22 / 2.गफुर खां पुत्र सुभान खां
23.बक्शे खां पुत्र धुला के वारिसान
23 / 1.आसीन गोदपुत्र बक्शे खां
23 / 2.मीमो बेवा बक्शे खां
24.आसीया बानो पत्नि लादू खां

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

25.काजू खां पुत्र करीम खां के वारिसान
25/1.कायमो वानो पत्नि कालू खां
26.गफुर खां पुत्र करीम खां
27.नसीर खां पुत्र मुरीद खां
जाति सिंधि मुसलमान निवासी सावरपुरा, भैयो की ढाणी,तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा
28.सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) वृत मुख्यालय बायतु
29.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी

2. विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 27/03/2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सिमरखिया पटवार हल्का सिमरखिया तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 32 क्षेत्रफल 2.4200 हैक्टेयर व खसरा संख्या 423/26 क्षेत्रफल 0.3399 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सिमरखिया पटवार हल्का सिमरखिया तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 32 क्षेत्रफल 2.4200 हैक्टेयर व खसरा संख्या 423/26 क्षेत्रफल 0.3399 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सिमरखिया पटवार हल्का सिमरखिया तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 32 क्षेत्रफल 2.4200 हैक्टेयर व खसरा संख्या 423/26 क्षेत्रफल 0.3399 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सिमरखिया पटवार हल्का सिमरखिया तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 32 क्षेत्रफल 2.4200 हैक्टेयर व खसरा संख्या 423/26 क्षेत्रफल 0.3399 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सिमरखिया पटवार हल्का सिमरखिया तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 32 क्षेत्रफल 2.4200 हैक्टेयर व खसरा संख्या 423/26 क्षेत्रफल 0.3399 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1 (किन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति मौका फर्द दिनांक 02.7.2018 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सालोतरा

प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सिमरखिया पटवार हल्का सिमरखिया तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 32 क्षेत्रफल 2.4200 हैक्टेयर व खसरा संख्या 423/26 क्षेत्रफल 0.3399 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को आदेशित किया जाता है।

27/03/2026

(अशोककुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27/03/2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

27/03/2026

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा